ट्रांज़िशन योजना निर्देशिका

स्कूल से निकलने पर सेकेन्डरी बाद के योग्य परिणाम हासिल करने के लिए अक्षमता वाले बच्चों को तैयार करना

मैरीलेन्ड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन प्रजाति, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्म, अक्षमता अथवा जातीय पसंद के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता जो रोजगार अथवा कार्यक्रमों तक पहुंच में बाधा बन जाए। डिपार्टमेन्ट की नीति से संबंधित विषयों पर जानकारी के लिए इन से संपर्क करें: Equity Assurance and Compliance Branch, Office of the Deputy State Superintendent for Administration, Maryland State Department of Education, 200 West Baltimore Street, 6th Floor, Baltimore, Maryland 21201-2595, फोन : 410–767–0433, फैक्स : 410–767–0431, TTY/TDD : 410–333–6442, www.MarylandPublicSchools.org

इस दस्तावेज का विकास और निर्माण मैरीलैन्ड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन (MSDE), डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इन्टर्वेन्शन सर्विसेज द्वारा इन्डीविजुअल्स विथ डिसेबिलिटिज़ एक्ट (IDEA) ***Part B Grant -# H027A090035*** के जरिए किया गया है, जिसके लिए यु.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज द्वारा धन प्रदान किया गया। यहां व्यक्त दृष्टिकोण, आवश्यक नहीं कि यु.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन अथवा किसी अन्य फेडरल एजेन्सी तथा कार्यक्रमों के विचार से मेल खाएं. MSDE डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इन्टर्वेन्शन सर्विसेज ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, यु.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन से धन प्राप्त करता है।

यह दस्तावेज कॉपीराइट मुक्त है। पाठकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस जानकारी की नकल कर औरों से साझा करें, लेकिन कृपया इसके लिए MSDE डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इन्टर्वेन्शन सर्विसेज का ऋण स्वीकार करें।

James H. DeGraffenreidt, Jr.
अध्ययक्ष
राज्य शिक्षा बोर्ड

Nancy S. Grasmick
स्कूल राज्य सुप्रिन्टेन्डेन्ट

Carol Ann Heath
सहायक राज्य सुप्रिन्टेन्डेन्ट
डिविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इन्टर्वेन्शन सर्विसेज

Martin O'Malley
गवर्नर

ट्रांज़िशन योजना निर्देशिका :
स्कूल से निकलने पर सेंकेडरी बाद के उपयुक्त परिणाम हासिल करने के लिए अक्षम बच्चों को तैयार करना

मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन
डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज
जनवरी 2010

विषय सूची

ट्रांज़िशन योजना की होम फाइल के लिए सूचना i

ट्रांज़िशन रूपरेखा 1

इन्डिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटिज़ एजुकेशन एक्ट 2004 (IDEA) 2

ट्रांज़िशन योजना 3

ग्रेजुएशन 3

मैरीलैंड एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट 4

अधिकार बनाम योग्यता 5

मैरीलैंड एडल्ट सर्विस एजेन्सी 5

1. मैरीलैंड डेवेलपमेन्टल डिसेबिलिटिज़ एडमिनिस्ट्रेशन (DDA) 6
2. डिविजन ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज (DORS) 10
3. DHMH मेन्टल हायजीन एडमिनिस्ट्रेशन 12
4. डिविज़न ऑफ वर्क फोर्स डेवेलपमेन्ट एंड एडल्ट लर्निंग 19

ट्रांज़िशन योजना में अभिभावक की भूमिका 22

ट्रांज़िशन योजना में विद्यार्थी की भूमिका 23

ट्रांज़िशन प्रक्रिया : एजेंसी लिंकेज 25

ट्रांज़िशन योजना की होम फाइल के लिए सूचना

स्कूल से बाहर आने की अनुमानित तिथि : ______________________________

मेरा बच्चा इसके साथ स्कूल से बाहर आएगा :––––––––मैरीलैंड हाई स्कूल डिप्लोमा

––––––––मैरीलैंड हाई स्कूल से कार्यक्रम सम्पन्न होने का प्रमाणपत्र

मेरा बच्चा इसे पूर्ण करेगा: ______________________________

*(*पाठ्यक्रम*)*

मेरा बच्चा इस तिथि को अपने एकेडमिक तथा कॅरियर योजना की प्रति प्राप्त करेगा : ______________

*(*तिथि*)*

मेरा बच्चा इस तिथि को अपने एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट प्राप्त करेगा : ______________

*(*तिथि*)*

मेरे बच्चे की **ट्रांज़िशन योजना की होम फाइल** में डाली जाने वाली बातें :

सब से हाल ही का IEP _________

सब से हाल ही का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ________

सब से हाल ही का शैक्षिक मूल्यांकन _________

पे–स्टब (प्रत्येक नियोक्ता से) ________

कोई पुरस्कार मिले हों तो उनकी सूची *________

कोई बधाई पत्र मिले हों तो उनकी प्रतिलिपियां * _________

प्रशंसा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां* _________

*इन चीजों के स्कूल से सम्बन्धित होने की आवश्यकता नहीं है।

ट्रांज़िशन रूपरेखा
वयस्क के रूप में हम क्या करेंगे?
हम वहां कैसे पहुंचें ?

मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन की ***ट्रांज़िशन योजना निर्देशिका*** स्कूल से निकलने के बाद आपके अक्षम बच्चे के उत्तरमाध्यिमक के उपयुक्त परिणाम पर लक्ष्य देता है तथा उसे जीवन के अगले चरण के लिए तैयार होने में मदद करता है। प्रत्येक छात्र के लक्ष्य तथा परिणाम समान नहीं होते। सभी छात्रों का, भविष्य में रोजगार का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे यह पूर्णकलिक अथवा अंशकालिक अथवा ऐसा रोजगार हो जिसमें सफल होने के लिए सहायता शामिल हों। सभी छात्रों के लिए उत्तरमाध्यिमक शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां ऐसी हों जो उन्हें अपने रोजगार के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। आपके बच्चे का लक्ष्य विशिष्ट आत्मनिर्भर जीवन भी हो सकता है।

इन्डिविजुअल्स विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट (IDEA) के अनुसार उस अधिनियम का उद्देश्य है "यह सुनिश्चित करना कि सभी अक्षम बच्चों को विशेष शिक्षा तथा उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु विकसित सम्बद्ध सेवाओं एवं उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयार करने पर बल देने वाली उचित राजकीय निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो।" वर्ष 2004 में IDEA की पुनः अधिकारिता के अंतर्गत बच्चों के लिए ट्रांजिशन योजना तथा उत्तरमाध्यिमक परिणामों के बारे में अत्यंत विशिष्ट भाषा शामिल की गई है। कानून छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा सामुदायिक सेवा प्रदाताओं को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि बच्चे को उसके लक्ष्य हासिल करने में सहायता की जा सके। इस निर्देशिका का उद्देश्य है– छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा सामुदायिक सेवा प्रदाताओं को जानकारीपूर्ण सहभागिताएं निर्मित करने में सहायक होना है। निर्देशिका अभिभावकों को वैसी जानकारी भी उपलब्ध कराएगी जिसकी योजना बनाने की प्रक्रिया में आवश्यकता होगी।

इस निर्देशिका को ट्रांज़िशन (संक्रमण) योजना प्रक्रिया के लिए **जानकारीपूर्ण भागीदारी** के निर्माण हेतु विकसित किया गया है। स्कूल से उपयुक्त वयस्क क्रियाकलापों की ओर संक्रमण में छात्र, परिवार, स्कूल कर्मचारी तथा सामुदायिक एजेंसियों की सहभागिता की आवश्यकता होती है।

यह निर्देशिका निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगी :

- इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटज़ एक्ट (IDEA) 2004 के अंतर्गत ट्रांज़िशन योजना की आवश्यकताएं
- ट्रांजिशन (संक्रमण) योजना
- मैरीलैंड हाई स्कूल डिप्लोमा तथा मैरीलैंड हाई स्कूल से कार्यक्रम संपन्न होने के प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक बातें
- मैरीलैंड एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट
- अधिकार बनाम योग्यता
- एजेंसी सेवाएं
  1. डिविज़न ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज (पुनर्वास सेवा प्रभाग - DORS)
  2. डेवेलपमेन्टल डिसेबिलिटिज़ एडमिनिस्ट्रेशन (विकास संबंधी अक्षमता प्रशासन - DDA)
  3. मेन्टल हायजीन एडमिनिस्ट्रेशन (मानसिक स्वास्थ्य प्रशासन - MHA)
  4. डिपार्टमेन्ट ऑफ लेबर, लाइसेन्सिंग एंड रेग्युलेशन – डिविज़न ऑफ वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट एंड एडल्ट लर्निंग (श्रम, अनुज्ञप्ति एवं नियमन विभाग– कार्यबल विकास तथा वयस्क शिक्षा प्रभाग)

- उत्तरमाध्यिमक शिक्षा विकलांगता सहायता सेवा से सम्बद्ध सूचनाएं
- ट्रांजिशन योजना में छात्र की भूमिका
  - ट्रांजिशन योजना में माता–पिता की भूमिका

- ट्रांजिशन लिंकेज

इन्डिविजुअल्स विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट 2004 (IDEA)

IDEA 2004 ट्रांज़िशन की इस प्रकार व्याख्या करता है, "एक ऐसी परिणाम आधारित प्रक्रिया के अंतर्गत होने को निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य है अक्षमता वाले बच्चों की शैक्षिक तथा संचालनात्मक उपलब्धि को उन्नत करना, जिससे बच्चा स्कूल से उत्तर माध्यमिक क्रियाकलापों की ओर उन्मुख हो सके।" IDEA 2004 के लिए नियमन, जिनको 14 अगस्त 2006 को जारी किया गया है, ट्रांज़िशन सेवाओं के उद्दश्य को इस प्रकार स्पष्ट करता है, "छात्रों की अनोखी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उन्हें आगे भी शिक्षा, रोजगार तथा स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार करना।

ट्रांजिशन सेवाओं को आगे किसी अक्षमता वाले छात्र के लिए क्रियाकलापों के एक समंवित सेट से परिभाषित किया गया है, जोः

- एक परिणाम आधारित प्रक्रिया के अंतर्गत होने को निमार्ण किया गया, जिसका उद्देश्य है किसी अक्षमता वाले बच्चे की शैक्षिक तथा संचालनात्मक उपलब्धि को उन्नत करना, जिससे बच्चा स्कूल से स्कूल पश्चात के क्रियाकलापों की ओर उन्मुख हो सके, जिनमें सेकंडरी के बाद की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा; समसमन्वित रोजगार; जारी और प्रौढ शिक्षा; वयस्क सेवाएं, स्वतंत्र जीवन या सामुदायिक भागीदारी शामिल है;

- बच्चों की आवश्यकताओं पर आधारित है, जिसमें उनकी शक्तियों तथा रुचि का ध्यान रखा गया है; तथा
- जिनमें शिक्षा, संबद्ध सेवाएं, सामुदायिक अनुभव, रोजगार का विकास तथा अन्य स्कूल पश्चात के वयस्क जीवन के उद्देश्य शामिल हैं, एवं उचित समय पर दैनिक जीवन की कुशलताएं तथा कार्यात्मक व्यावसायिक मूल्यांकन भी शामिल होगा।

मैरीलैंड में ट्राजिशन योजना तथा ट्रांजिशन सेवाओं की आपूर्ति की शुरुआत उस स्कूल साल में होती है, जब छात्र की आयु 14 वर्ष हो जाए।

ट्रांज़िशन आयोजन

ट्रांज़िशन आयोजन का लक्ष्य है अक्षमता वाले बच्चों को वे जैसे स्कूल में प्रगति करते हैं और वयस्क विश्व में जीवन के लिए तैयार होते हैं, तब सहायता करना। वयस्क क्रियाकला निम्नलिखित में से किन्हीं का भी संयोजन हो सकते हैं:

- रोजगार
- सेकेन्डरी पश्चात शिक्षा
- रोजगार प्रशिक्षण
- स्वतंत्र जीवन
- सामुदायिक सहभागिता
- वयस्क सेवाएं

किसी विद्यार्थी के भविष्य के लिए ट्रांज़िशन का आयोजन एलिमेन्टरी स्कूल में करियर संबंधी जागरूकता और परिचय प्रवृत्तियों के दौरान शुरू होता है। बच्चे की करियरों के बारे में जानकारी में परिवार एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हररोज अभिभावक अपने निजी अनुभव साझा कर सकते हैं और अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों और पडोसियों के रोजगार के बारे में जानने में सहायता कर सकते हैं।
14 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों के लिए इन्डिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) विकसित करने में ट्रांज़िशन आयोजन पहला कदम है। यह छात्र के स्कूल के किसी कर्मचारी से अपने रूचि और पसंद साझा करने के साथ शुरू होता है और फिर वहाँ से:

1. छात्र और स्कूल के कर्मचारी रोजगार संबंधित सेकेन्डरी पश्चात के रोजगार, पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा या रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित परिणाम निर्धारित करते हैं; और यदि उपयुक्त हो, तो स्वतंत्र जीवन संबंधित परिणाम भी। ये सेकेन्डरी पश्चात के परिणाम आयु के लिए उपयुक्त ट्रांज़िशन मूल्यांकनो पर आधारित होते हैं।

2. स्कूल के कर्मचारी फिर विद्यार्थी को उसके परिणाम के प्रति प्रगति करने के लिए सक्षम बनाने के लिए शिक्षा के कोर्स और वार्षिक लक्ष्यों समेत किन सेवाओं की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए एक उल्टा नक्शा तैयार करते हैं (यह सारी जानकारी IEP में शामिल की जाती है)।

3. यह प्रक्रिया हर साल दोहरायी जाती है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि छात्र की रूचियाँ और परिणाम वही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र/छात्रा अपने परिणामों कि ओर आगे बढ़ना जारी रखे, IEP में अनुकूलन किया जाएगा।

ग्रेजुएशन

मेरीलैंड हाईस्कूल डिप्लोमा के लिए पात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 21 क्रेडिट्स प्राप्त करना आवश्यक है। आवश्यक कोर्स क्रेडिट के अलावा सभी छात्रों को 75 घंटे की स्टुडन्ट सर्विस पूरी करनी चाहिए या उन्हें स्थानीय रूप से डिजायन किए छात्र सेवा कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए। स्थानीय स्कूल प्रणालियाँ राज्य द्वारा तय न्यूनतम आवश्यकता के अलावा स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त क्रेडिट आवश्यकताएं निर्धारित कर सकतीं हैं या डिप्लोमा में विशिष्ट समर्थन प्रदान कर सकतीं हैं। कोर लर्निंग गोल के साथ हाई स्कूल कोर्स क्रेडिट के सम्मिलन के लिए यह आवश्यक है कि सभी छात्र हाई स्कूल एसेसमेंट (HSA) जांच के लिए निर्मित पाठ्यक्रम लें। जिस वर्ष के दौरान छात्र को क्रेडिट हेतु किसी पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है, उसे संगत HSA भी देना चाहिए।

अक्षमता वाले छात्र जो हाई स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, वे यदि निम्न मानदंडों में से एक की पूर्ति करे तो उन्हें **मैरीलैंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्राम कम्प्लीशन** से नवाजा जा सकता है:

- ग्रेड 8 के बाद या इसी उम्र के समतुल्य के बाद किसी शैक्षिक कार्यक्रम में छात्र ने कम से कम चार (4) वर्षों तक दाखिला लिया हो तथा बच्चे के अभिभावकों की सहमति के साथ किसी IEP टीम द्वारा निर्धारित किया गया हो,

कि बच्चेने रोजगार की दुनिया में प्रवेश करने हेतु, एक नागरिक के रूप में जिम्मेदार व्यवहार करने हेतु और परिपूर्ण करने वाले जीवन का आनंद उठाने के लिए उचित कुशलता के विकसित कर ली है।

- ग्रेड 8 के बाद या इसी उम्र के समतुल्य के बाद किसी शैक्षिक कार्यक्रम में छात्र ने कम से कम चार (4) वर्षों तक दाखिला लिया हो तथा छात्र के वर्तमान स्कूल वर्ष के अंत पर वह 21 वर्ष क हो गया होगा।

मैरीलैंड एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट

मैरीलैंड एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट स्नातक होने वाले छात्रों को IEP की अहम जानकारियां प्रदान करता है, जिनका वे स्कूल से सेकेन्डरी पश्चात के क्रियाकलापों के लिए उन्मुख होने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में शामिल हैं, रोजगार, उत्तर माध्यमिक शिक्षा, सहायताप्राप्त रोजगार या सामुदायिक सेवा एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला स्वतंत्र जीवन। यह दस्तावेज छात्रों को मैरीलैंड हाई स्कूल डिप्लोमा या मैरीलैंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्राम कम्प्लीशन के सहायक के रूप में दिया जाता है।

युवा जो कि अक्षम हैं, उन्हें सहायता के लिए या उचित समायोजन के लिए आवेदन करना **ही** चाहिए, चाहे यह सेकंडरी शिक्षा में हो, रोजगार में या स्वतंत्र जीवन सेवा में। दस्तावेज में शामिल सूचनाएं आवेदन प्रक्रिया के दौरान उनके लिए काफी मददगार होंगी। दस्तावेज वेब–आधारित प्रोग्राम से निर्मित किया जाता है। इसे एक स्कूल स्टाफ सदस्य तथा छात्र द्वारा विकसित किया गया है तथा इसमें छात्र के परिवार से भी सहयोग प्राप्त है।

दस्तावेज के लिए डेटा छात्र की IEP टीम मीटिंग के दौरान एकत्र किया जाना चाहिए, जहां ट्रांज़िशन योजना तैयार की जाती है। यह दस्तावेज ट्रांज़िशन योजना के लिए एक दिशा–निर्देश का कार्य कर सकता है। दस्तावेज संभावित रोजगार प्रदाताओं, उत्तर माध्यमिक संस्थानों तथा वयस्क सेवा प्रदाताओं के लिए युवाओं की कुशलता, शक्ति तथा उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक किसी सहायता की जरूरत की सार्थक प्रदान कर सकता है।

मैरीलैंड एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट में दस खंड होते हैं। निम्न में दर्शाए प्रत्येक खंड में युवा का वर्णन तथा उसके बारे मेंविशिष्ट जानकारी शामिल हैं।

- जनांकिकीय सूचनाएं
- अध्ययन पाठ्यक्रम
- शैक्षिक समायोजन/ सहायता
- रोजगार प्राथमिकताएं
- व्यक्तिगत लक्षण
- व्यक्तिगत रुचियां
- रोजगार समायोजन/ सहायता
- आवश्यक कुशलता रेटिंग
- कार्य इतिहास
- संदर्भ

अधिकार बनाम योग्यता

सार्वजनिक शिक्षा की **अधिकारिता** तथा योग्यता पर आधारित वयस्क सेवाओं के बीच का अंतर दुविधापूर्ण हो सकता है। मैरीलैंड में कोई अक्षम छात्र जो विशेष शिक्षा सेवा प्राप्त कर रहा है, वह स्कूल वर्ष जिसमें 21 वर्ष (IDEA, 2004) की आयु प्राप्त करता है, या मैरीलैंड हाई स्कूल डिप्लोमा या मैरीलैंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्राम कम्प्लीशन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, निःशुल्क योग्य सार्वजनिक शिक्षा का **अधिकारी** होता है। एक बार स्कूल से बाहर निकलने के बाद छात्र को वह वयस्क सेवा एजेंसियों से सेवाएं प्राप्त कर पाए उसके लिए **अर्हता मानदंडों** तथा फंडिंग योग्यता को पूरा करना आवश्यक है।

मैरीलैंड एडल्ट सर्विस एजेंसीज

निम्न खंड उन एजेंसियों के बारे में बताएंगे जो आपके बच्चे के स्कूल से निकलने के बाद उन्हें सेवाएं प्रदान कर सकती हैं या उनके लिए सेवाएं खरीद_सकती हैं। चार सरकारी एजेंसियां हैं जो ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं या उन्हें खरीद सकती हैं, जिनसे आपके बच्चे अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। आपके बच्चे द्वारा इन सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विशिष्ट मानदंडों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। विशिष्ट **अर्हता मानदंडों** को एजेंसियों के विवरण में वर्णित किया गया है। ये चार एजेंसियां निम्न हैं:

1. मैरीलैंड डेवेलपमेन्टल डिसेबिलटीज एडमिनिस्ट्रेशन
2. डिवीजन ऑफ रीहेबिलिटेशन सर्विसेज/मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन
3. मेन्टल हाईजीन एडमिनिस्ट्रेशन/ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेन्टल हाईजीन
4. ऑफिस ऑफ वर्क फोर्स डेवेलपमेन्ट एंड एडल्ट लर्निंग/ मैरीलैंड डिपार्टमेन्ट ऑफ लेबर लाइसेंसिंग एंड रेग्युलेशन

यह खंड उन सेकेन्डरी पश्चात एजुकेशन डिसेब्लिटी सपोर्ट सर्विसेज की भी व्याख्या करता है, जिसके लिए आपका बच्चा आवेदन कर सकता है, जब वह अपनी शिक्षा उत्तर माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, सामुदायिक कॉलेजों या करियर स्कूलों में प्राप्त कर रहा/रही है।

1. मैरीलैंड डेवलपमेन्टल डिसेबिलटीज एडमिनिस्ट्रेशन (DDA)

मैरीलैंड डेवलपमेन्टल डिसेबिलटीज एडमिनिस्ट्रेशन (DDA), मैरीलैंड डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ एंड मेन्टल हाईजीन के अंतर्गत एक समन्वित सेवा आपूर्ति प्रणाली प्रदान करता है, ताकि अक्षम व्यक्ति को उचित सेवा प्राप्त हो सके जिससे वह समुदायिक जीवन में शामिल हो सके। सेवाएं समुदाय आधारित व्यापक सेवाओं के जरिए प्रदान की जाती हैं, जो प्रमुख तौर से नॉन–प्रॉफिट प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है।

परिवारों, प्रदाताओं, स्थानीय तथा सरकारी एजेंसियों के साथ विश्वास तथा सहयोग निर्माण में DDA अग्रगामी भूमिका निभाता है तथा विकास संबंधी अक्षमताओं वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर डालता है, जिसमें ऐसे संसाधन भी हैं जो जनसामान्य के लिए होते हैं। चूंकि व्यक्ति के अधिकार तथा गरिमा में हमारा प्रबल विश्वास है, अतः हम निम्न के लिए कृतसंकल्प हैः

- विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्ति तथा उनके परिवारों को ऐसी सेवाएं तथा सहायताएं चुनने में सशक्त बनाना जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों।
- भागीदारी को बढ़ाने के लिए विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्तियों को सामुदायिक जीवन में शामिल करना।
- उच्च गुणवत्ता की सहायता का प्रावधान करना, जो उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित हो और व्यक्ति की वृद्धि और विकास को अधिक से अधिक बढ़ाए।
- वित्तीय रूप से जिम्मेदार एक अनुकूलनक्षम सेवा प्रणाली की स्थापना जो उन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके, जिन्हे मैरीलैंड के नागरिकों ने विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्तियों की सेवा हेतु आवंटित किया है।

DDA का उद्देश्य है विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की सामुदायिक जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा DDA का लक्ष्य है कि व्यक्तिगत वृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सहायता तथा सेवाओं के लिए उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना। DDA विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्तियों *द्वारा स्व–निर्धारण वाले चार सिद्धांतों* को व्यवहार में लाने के लिए कृतसकल्प है, जो हैं: (1) विकल्प चुनने की स्वतंत्रता; (2) सेवाओं तथा सहायताओं पर अधिकार (3) संगठित संसाधनों के लिए जिम्मेदारी; तथा (4) समुदाय में जीवन–यापन करने के लिए आवश्यक सहायता।

अर्हता

कोई व्यक्ति सभी सेवाओं के लिए योग्य हो सकता है, यदि उसे ऐसी गंभीर चिरकालिक अक्षमता होः

- जो मानसिक रोग के निदान के अलावा किसी शारीरिक तथा मानसिक क्षति से संबद्ध है, या जिसमें मानसिक तथा शारीरिक क्षति का संयोजन हो।
- जो व्यक्ति के 22 वर्ष की आयु के होने से पूर्व लिक्षत हुआ हो;
- जिसकी अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है;
- जिसके कारण व्यक्ति किसी बाह्य मदद के बिना या निरंतर एवं नियमित सहायता के बिना आत्मनिर्भर रूप से रहने में अक्षम हो;
- जिसे विशेष अंतरविषयी या साधारण देखभाल, उपचार या अन्य सेवाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के लिए योजनाबद्ध तथा समन्वित है। (हेल्थ जनरल 7–101 [e])

कोई व्यक्ति केवल सहायता सेवाओँ के लिए योग्य होता है, यदि उसे ऐसी गंभीर चिरकालिक अक्षमता होः

a) जो मानसिक रोग के प्रमुख रोग पहचान के अलावा शारीरिक तथा मानसिक अपंगता से संबद्ध है, या जिसमें मानसिक तथा शारीरिक अपंगता का संयोजन हो।

b) जिसकी अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है;
(हेल्थ जेनरल 7–403 [*c*])

DDA सेवाओं के लिए व्यक्ति को आवेदन करना तथा उसके पात्र होना निर्धारित होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति DDA की सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त माना जाता है तो उसे उसे निम्न में से किसी एक सेवा वर्ग में रखा जाएगा। ये प्राथमिकता क्रम के आधार पर सूचीबद्ध है जिसमें आवेदनकर्ता सेवाएं प्राप्त करेंगेः

- वर्ग I - संकट समाधान (क्राइसिस रेज़ल्युशन)
- वर्ग II - संकट से बचाव (क्राइसिस प्रिवेन्शन)
- वर्ग III – वर्तमान निवेदन

DDA द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्न शामिल हैंः

- **गृह तथा समुदाय आधारित सेवाओं का वेइवरः** मेडिकेड गृह तथा समुदाय आधारित सेवाएं (HCBS) वेइवर कार्यक्रम को सोश्यल सिक्योरिटि एक्ट के अनुच्छेद 1915(c) में प्राधिकृत किया गया है। यह कार्यक्रम किसी राज्य को ऐसी घरेलू तथा सामुदायिक आधारित सेवाएं प्रदान करनें की अनुमति देता है, जो मेडिकेड लाभकर्ता को समुदाय में जीवन–यापन हेतु मदद करता है तथा किसी संस्थान् में दाखिल कराये जाने से रोकता है। वेइवर लक्षित जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति हेतु वेइवर कार्यक्रम को डिजायन करने का सरकार को विस्तृत अधिकार है। वेइवर सेवा ऐसी सेवाओं की पूरक तथा/या सम्पूरक होती हैं जो मेडिकेड स्टेट प्लान तथा अन्य संघीय, राजकीय तथा स्थानीय जन कार्यक्रम, और साथ ही ऐसी सहायताओं जो परिवार तथा समुदाय प्रदान करते हैं, के जरिए प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्ति, जिन्हें डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ एंड मेन्टल हाईजीन ऑफ वेइवर सर्विसेज द्वारा वेइवर के अंतर्गत मेडिकेड सेवा प्राप्त करने को योग्य माना गया हो, और जिनको संपूर्ण अर्हता स्थिति (केवल सहायता सेवाओं की अर्हता ही नहीं) हासिल किया माना गया हो, योग्य हैं।

  - **न्यू डाइरेक्शन्स वेइवरः** न्यू डाइरेक्शन्स वेइवर वित्तीय प्रबंध सेवा (FMS) तथा सपोर्ट ब्रॉकरेज के इस्तेमाल द्वारा व्यक्ति को उनकी सेवाओं की संख्या निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। सपोर्ट ब्रॉकर व्यक्ति को उनकी सेवाओं के प्रबंधन में मदद करता है तथा उन्हें अपनी सेवाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशलता प्राप्त करने में सहायता करता है। सपोर्ट ब्रॉकरेज रिसोर्स कोऑर्डिनेशन का पूरक होता है, जिसमें यह, ओवरआर्चिंग प्लानिंग, रेफरल तथा रिसोर्स कोऑर्डिनेशन की गुणवत्ता आश्वासन कार्यों की तुलना में अधिक से अधिक दैनिक कार्यक्रम प्रबंधन का कार्य करता है। न्यू डाइरेक्शन्स के जरिए उपलब्ध सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं, जो व्यक्ति के अपने घर या उनके परिवार के घर में सफलतापूर्वक रहने में जरूरी होती है। उपभोक्ता निदेशित सेवाओं में राहत, सहायता प्रदत्त रोजगार,

रोजगार अन्वेषण तथा अनुकूलन सेवाएं एवं कम्युनिटी लर्निंग सेवाएं, कम्युनिटी सहायता प्रदत्त जीवन–यापन व्यवस्था, परिवहन, पर्यावरण पहुंच अनुकूलन, परिवार तथा व्यक्ति सहायता सेवाएं, ट्रांजिशन सेवाएं, सपोर्ट ब्रॉकरेज एवं सहायक तकनीकी तथा अनुकूलित उपकरण शामिल हैं।

- **कम्युनिटी पाथवे:** कम्युनिटी पाथवे वेइवर विकास संबधी अक्षमता वाले लोगों को किसी संस्थान् में दाखिले के विकल्प के रूप में घर पर तथा समुदाय में रहने के लिए बढ़ावा देता है। इस वेइवर के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में 'पारंपरिक' सेवाएं शामिल हैं, जहां व्यक्ति के लिए सर्विस डॉलर सेवा प्रदाता एजेंसियों को प्रदान किए जाते हैं। सेवाओं में शामिल हैः डे हैबिलिटेशन एंड एक्स्टेंडेड डे हैबिलिटेशन (जिनमें शामिल हैं– सहायता प्रदत्त रोजगार, रोजगार अन्वेषण तथा अनुकूलन तथा कम्युनिटी लर्निंग,) सामुदायिक निवासी सेवाएं, सामुदायिक सहायताप्रदत्त जीवन–यापन व्यवस्था, राहत, संसाधन समन्वय (केस मैनेजमेंट), पर्यावरण सुधार, परिवार तथा व्यक्ति के लिए सहायता सेवाएं, ट्रांजिशन सेवाएं, मेडिकल डे केयर तथा अनुकूलित उपकरण एवं सहायक तकनीकी।

- **एम्प्लॉयमेन्ट फर्स्ट:** DDA सेवाएं इस विश्वास के साथ स्थापित की गयीं थीं कि विकास संबंधी अक्षमता वाले सभी व्यक्ति अवसर , प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित अन्य सहायता उपलब्ध कराने पर कार्य कर **सकते** हैं। सेवाएं सर्वाधिक एकीकृत परिवेश में प्रदान की जाती हैं तथा व्यक्ति की देखभाल योजना के अनुरूप दी जाती हैं,। इस योजना को एक ऐसी विशद व्यक्ति आधारित योजना प्रक्रिया के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि सर्वाधिक एकीकृत सेटिंग का मूल्यांकन करती है तथा सामुदायिक एकीकरण की वर्तमान बाधाओं को दूर करती है।

नोटः *DDA सेवाएं प्राप्त करते हैं ऐसे कार्य करने वाली आयु (16 से 64 वर्ष) के सभी व्यक्तियों के लिए, रोजगार 'पहला' विकल्प होगा।*

- **गवर्नर्स ट्रांजिशनिंग यूथ इनशिएटिव:** अत्यधिक तीव्र अक्षमता वाले व्यक्ति कार्य कर सकते हैं तथा स्कूल छोड़ने के बाद मैरीलैंड के भविष्य में योगदान दे सकते हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 1989 में गवर्नर्स ट्रांजिशनिंग यूथ इनिशिएटिव (GTYI) को तैयार किया गया। ट्रांजिशनिंग यूथ एक विशेष प्रकार के योग्यता वर्ग तथा सेवा प्राथमिकता में शामिल है। गवर्नर्स ट्रांजिशनिंग यूथ इनिशिएटिव के जरिए DDA, डिविज़न ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज (DORS) के सहयोग से ऐसे अर्हता प्राप्त स्नातक होने वाले छात्रों के लिए सहायता प्रदत्त रोजगार को फंड प्रदान करने में सक्षम हुआ है, जिन्हें अन्यथा DDA सेवाएं प्राप्त नहीं होतीं। गवर्नर्स ट्रांजिशनिंग यूथ इनिशिएटिव (GTYI) हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को *पूरी तरह से विकास संबंधी अक्षमता वाले व्यक्ति के रूप में पात्र माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्र अपने 21 से लेकर 22वें जन्मदिन तक योग्य होगा। यदि व्यक्ति की ग्रेजुएशन की तिथि व्यक्ति के 21वें जन्मदिन के बाद की हो तो वह ग्रेजुएशन की तिथि के एक वर्ष बाद तक योग्य माना/मानी जाएगी।*

GTYI के जरिए प्राप्त सेवाएं ऐसी लगातार सेवाएं नहीं होतीं जिनमें लोगों को रोजगार प्राप्ति हेतु अवश्य ही उन्मुख होना पड़ता है। सेवाएं पहले सर्वाधिक एकीकृत सेवाओं के क्रम में सूचीबद्ध हैं।

- ***सहायता प्रदत्त रोजगार सेवाएं*** कम्युनिटी आधारित सेवाएं होती हैं जो व्यक्ति को रोजगार पाने तथा उस बरकरार रखने में मदद करती हैं, या ये समुदाय में उनके अपने व्यवसाय को स्थापित करने में भी सहायता करती हैं। सहायता जो कि प्रायः जॉब कोच की मदद से दी जाती है, उनकी गहनता व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर अलग–अलग होती है। सहायता निरंतर चालू रह सकती है या समय के साथ बंद भी हो सकती है। मॉडलों में स्व–रोजगार, व्यक्तिगत रोजगार तथा समूह रोजगार (अर्थात एंक्लेव या मोबाइल समूह) शामिल होते हैं। यह सेवा न्यू डाइरेक्शन वेइवर के अंतर्गत स्व–दिशानिर्दिष्ट हो सकती है।
- ***रोजगार अन्वेषण तथा अनुकूलन सेवाएं (एम्प्लॉयमेन्ट डिस्कवरी एंड कस्टमाइज़ेशन सर्विसेज़)*** समय सीमाबद्ध, समुदाय–आधारित सेवाएं होती हैं (3 महीने की अवधि), जिसे रोजगार की खोज, अनुकूलन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप प्रदान करने हेतु निर्माण किया गया है ताकि एकीकृत कार्य स्थलों पर व्यक्ति को प्रतियोगात्मक रोजगार पाने में मदद मिले, जहां व्यक्ति को तुलनात्मक पारिश्रमिक प्राप्त हो । सेवाओं में शामिल हैंः समुदाय आधारित परिस्थितिजन्य मूल्यांकन, नौकरी का विकास, नौकरी तथा कार्य का विश्लेषण, नौकरी के लिए प्रशिक्षण, कार्य कुशलता का प्रशिक्षण, कार्य सामग्रियों, प्रक्रियाओं तथा प्रोटोकॉल में सुधार, इत्यादि। पर ये सेवाएं इन तक ही सीमित नहीं हैं। यह सेवा न्यू डाइरेक्शन्स वेइवर के अंतर्गत स्व–दिशानिर्दिष्ट हो सकती है।
- ***कम्युनिटी लर्निंग सेवाएं*** समुदाय आधारित सेवाएं होती हैं, जो लोगों को रोजगार प्राप्त करने हेतु आवश्यक कुशलता विकसित करने में तथा सहायता प्राप्त करने में मदद करती हैं, ये सकारात्मक विकास को बढ़ावा देती

हैं, क्रियाकलाप प्रदान करती हैं, विशेष सहायता, मदद एवं शिक्षा प्रदान करती हैं। सेवाएं अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ हैं और इनमें शामिल हो सकते हैं: स्व–निर्धारण/स्व–समर्थन प्रशिक्षण; कार्यशाला तथा कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहायता, पीयर मेन्टरिंग; वॉलन्टीयर क्रियाकलाप; स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलाप, समाजीकरण इत्यादि। लेकिन यह सेवा उन तक ही सीमित नहीं है। यह सेवा न्यू डाइरेक्शन्स कार्यक्रम के अंतर्गत स्व–दिशानिर्दिष्ट हो सकती है।

- ***ट्रेडिशनल डे हेबिलिटेशन सेवाएं*** सुविधा आधारित सेवाएं होती हैं, जिन्हें मोटर, संचार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा अवकाश कुशलता एवं सामुदायिक एकीकरण को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए संरचनाबद्ध क्रियाकलापों को प्रदान करने के लिए निर्माण किया गया है।

- **टिकिट टु वर्क प्रोग्राम:** टिकिट टु वर्क एंड सेल्फ सफिश्यन्सी प्रोग्राम उन अक्षमता वाले लोगों के लिए एक रोजगार कार्यक्रम है, जो नौकरी पर जाना चाहते हैं। टिकिट टु वर्क कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रशासन अक्षमता वाले लाभ प्राप्त करने वाले को को एक *टिकट* प्रदान करता है, जिसका प्रयोग रोजगार पाने में सफल होने के लिए आवश्यक सेवाओं तथा सहायता प्राप्त करने में किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी या सेवाओं के लिए आवेदन हेतुः:
www.ddmaryland.org
1-877-468-3464

सामाजिक सुरक्षा प्रशासन द्वारा सहायताप्रदत्त रोजगार सहायता:
www.socialsecurity.gov/work/
1-800-772-1213

टिकिट टु वर्क कार्यक्रम :
www.yourtickettowork.com/

2. डिविज़न ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज (पुनर्वास सेवा प्रभाग - DORS)

मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन, डिविजन ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज द्वारा बहुत अधिक अक्षमता वाले व्यक्तिओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए मैरीलैंड में व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाता है। जब बहुत अधिक अक्षमता वाले छात्र माध्यमिक स्कूलों से निकल कर रोजगार के क्षेत्र में जाने अथवा उत्तरमाध्यिमक शिक्षा ग्रहण करने एवं/अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर उन्मुख होते हैं, तो उन्हें असरदार कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध कराना प्रभाग के वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है और यह स्थानीय स्कूल तंत्र, अक्षमता वाले छात्रों, सामुदायिक कार्यक्रमों तथा परिवार के सदस्यों के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। अक्षमता वाले छात्रों को सेवा की सुस्पष्ट जानकारी प्रदान करने और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु DORS का मैरीलैंड के प्रत्येक स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ अनुबंध है।

DORS ऑफिस ऑफ फील्ड सर्विसेज, ऑफिस ऑफ ब्लाइन्डनेस एंड विज़न सर्विसेज अझैर वर्कफोर्स एंड टेक्नोलॉजी सेन्टर के जरिए कार्यक्रम एवं सेवा उपलब्ध कराता है।

- **DORS के कर्मचारी :** सम्पूर्ण मैरीलैंड में फैले DORS के कार्यालयों में अक्षमता वाले बच्चों के साथ कार्य करने में विशेषज्ञ रिहेबिलिटेशन काउन्सिलर्स होते हैं। DORS के ट्रांजिशन परामर्शदाता मैरीलैंड के प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में नियुक्त रहते हैं तथा वे स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें प्रायः ट्रांजिशन कोऑर्डिनेटर तथा स्पेशल एजुकेशन शिक्षक होते हैं। DORS के स्टॉफ द्वारा छात्रों एवं उनके परिवारों को ट्रांजिशन मेलों तथा अन्य उपयुक्त स्कूली कार्यक्रमों के अवसर पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ट्रांजिशन परामर्शदाता आम तौर पर गम्भीर एवं अति गम्भीर अक्षमता वाले छात्रों के साथ अंतिम से पहले के वर्ष में सीधे कार्य करना प्रारंभ करते हैं। वे छात्रों तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सेवा के लिए योग्यता एवं प्राथमिकता निर्धारित करते हैं और तब रोजगार सेवाओं के लिए योजना विकसित करते हैं जिनमें से कुछ को छात्र के स्कूल में रहते ही तथा कुछ को उनके स्कूल खत्म करने के बाद लागू किया जाता है।

- **योग्यता एवं सेवा की प्राथमिकता :** संघीय (फेडरल) कानून के तहत कोई भी DORS के वोकेशनल रिहेबिलिटेशन (व्यावसायिक पुनर्वास - VR) कार्यक्रम के लिए उपयुक्त हो सकता है यदि वह (1) ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति से ग्रस्त है जो उसके रोजगार में *काफी* बाधक बन सकती है, (2) रोजगार उपलब्धि के रूप में सेवाओं से लाभ उठा सकता है, तथा (3) रोजगार प्राप्ति के लिए उसे व्यावसायिक पुनर्वास सेवा प्राप्त करने की आवश्यकता हो। संसाधनों के सीमित होने के कारण DORS केवल गम्भीर एवं अति गम्भीर अक्षमता वाले छात्र को ही सेवा उपलब्ध कराता है। इसकी परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है जिसे लम्बे समय तक अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है तथा जिसकी अक्षमता *गम्भीर रूप से* एक या अधिक क्रियात्मक क्षमता जैसे चलना–फिरना, संवाद, खुद की देखभाल, स्वनिर्देशन, अंतरवैयक्तिक हुनर, कार्य–सह्यता तथा कार्य–निपुणता को *सीमित* करती है। सेवाओं के लिए एक प्रतीक्षा सूची हो सकती है।

- **सेवाओं के लिए रेफेरल।** (1) विशेष शिक्षा में, (2) 504 योजनाओं के साथ अथवा (3) गंभीर स्वास्थ्य क्षति से ग्रस्त गंभीर तथा अति गंभीर अक्षमता से ग्रस्त छात्र को रेफर किया जाना चाहिए जब तक कि:

    1. उसका लक्ष्य रोजगार पाना हो
    2. वह ऊपर वर्णित क्रियात्मक क्षेत्रों में से कम से कम एक में गंभीर बाधा से ग्रस्त हो (देखें : *योग्यता तथा सेवाओं की प्राथमिकता*)

    नोट*:* ऐसे छात्र जिन्हें सप्लिमेन्टल सिक्योरिटि इन्कम (अनुपूरक सुरक्षा आय –SSI) अथवा सोश्यल सिक्योरिटि डिसेबिलिटि इन्श्योरेन्स (सामाजिक सुरक्षा अक्षमता बीमा – SSDI) प्राप्त है, VR सेवाओं के लिए योग्य माने जाते हैं तथा यह भी कि वे गंभीर अक्षमता से ग्रस्त हैं, और यदि उनका रोजगार पाने का लक्ष्य हो, तो वे रेफर किए जाने चाहिए।

    छात्रों को रेफर नहीं किया जाना चाहिए यदि वे:

- DORS से रोजगार सेवा पाने में दिलचस्पी न रखते हों
- साधारण क्षति से ग्रस्त हों जो उनकी क्रियात्मक क्षमताओं को *गंभीरता* से प्रभावित न करती हों तथा जो ममूली मदद या समायोजन से उत्तरमाध्यिमक शिक्षा अथवा रोजगार पाने में सक्षम हों।

- **रेफेरल की समयसीमा और साधन :** ज्यादातर किस्सों में DORS ट्रांजिशन करने वाले छात्रों के साथ उनकी माध्यमिक शिक्षा के समाप्त होने के एक वर्ष पहले से कार्य करना आरंभ कर देता है। यदि किसी विद्यार्थी विशेष के लिए समय से पूर्व कार्य करना आवश्यक हो तो इसे अपवाद के रूप में स्वीकारा जा सकता है। स्कूल के कर्मचारी छात्रों के रेफेरल में, नियुक्त DORS ट्रांजिशन परामर्शदाता के साथ समन्वय करेंगे। स्कूल द्वारा रेफेरल के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना (जैसे, मूल्यांकन सूचना, एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट, इन्डिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) अथवा 504 योजना) योग्यता निर्धारण तथा रोजगार हेतु व्यक्तिगत योजना (इन्डिविजुअलाइज़्ड प्लान) विकसित करने में सहायता करेगी।

- **इन्डिविजुअलाइज़्ड प्लान फॉर एम्प्लॉयमेन्ट (रोजगार हेतु व्यक्तिगत योजना - IPE):** सेवाओं की एक योजना जिसे *इन्डिविजुअलाइज़्ड प्लान फॉर एम्प्लॉयमेन्ट* (IPE) कहते हैं, तैयार करने के लिए DORS के परामर्शदाता योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के साथ कार्य करते हैं। IPE के अंतर्गत शामिल सेवाएं वे होती हैं जिनकी आवश्यकता छात्र और परिवार की भागीदारी में व्यक्तिगत रूप में निर्धारित रोजगार लक्ष्य को हासिल करने में होती है। रोजगार लक्ष्य तथा वांछित सेवाएं छात्रों की विशिष्ट क्षमता, संसाधन, प्राथमिकता, रुचि, आवश्यकता तथा पसंद पर आधारित होते हैं। IPE के अंतर्गत (1) रोजगार लक्ष्य, (2) रोजगार प्राप्त करने की तय समय सीमा, (3) आवश्यक सेवाएं, (4) सेवाओं के लिए धन कहां से उपलब्ध होगा तथा (5) इसका निर्धारण कैसे होगा कि सेवाएं सफल हुई हैं, शामिल होते हैं। स्पेशल एजुकेशन प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए IPE का विकास इन्डिविजुअल एजुकेशन प्लान के अनुरूप किया जाता है। सेवाओं के आरंभ होने से पहले IPE को DORS द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

- **पुनर्वास सेवाएं :** उपभोक्ता के लिए आवश्यकतानुसार, DORS सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करा सकता है अथवा उनकी व्यवस्था कर सकता है। इनके अंतर्गत करियर मूल्यांकन, करियर संबंधी निर्णय लेना, सलाह एवं रेफेरल, सहयोगी तकनीक, उत्तरमाध्यिमक शिक्षा (व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक कॉलेज/युनिवर्सिटी); तथा रोजगार नियोजन सेवा आती हैं। सेवाएं DORS के परामर्शदाताओं, अनुमोदित सामुदायिक सेवा प्रदाताओं द्वारा तथा उत्तर–पूर्व बाल्टिमोर स्थित प्रभाग के अंतर्विषयी पुनर्वास केन्द्र– वर्कफोर्स एंड टेक्नोलॉजी सेन्टर पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

- **सेवाओं के लिए भुगतान :** DORS केवल उन्ही सेवाओं के लिए भुगतान करता है जो DORS के किसी अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदित एवं लिखित रूप से अधिकृत हो। प्रभाग के पास परिवार की आमदनी के आधार पर अधिकतर सेवाओं के भुगतान का एक स्लाइडिंग स्केल होता है। जिन्हें SSI प्राप्त है, इन्हें सेवाओं के व्यय में योगदान करने की आवश्यकता नहीं। DORS के उपभोक्ताओं द्वारा कई प्रकार की विशिष्ट सेवाओं में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसके अंतर्गत मूल्यांकन, परामर्श/दिशानिर्देश/रेफेरल, रोजगार नियोजन सेवा, सहायता प्रदत्त नियुक्ति, व्यावसायिक पुनर्वास परामर्श सेवाओं में भागीदारी के लिए आवश्यकता पड़ने पर संचार सहायता तथा सेवा एवं व्यक्तिगत सहायता सेवा आती हैं।

- **उत्तरमाध्यिमक शिक्षा :** DORS उपभोक्ता को उत्तरमाध्यिमक शिक्षा से जुड़े व्यय के साथ मदद कर सकता है जब इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता IPE पर अनुमोदित रोजगार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है। DORS उत्तरमाध्यिमक शिक्षा के लिए प्राथमिक धन प्रदाता नहीं है। जिन उपभोक्ताओं को IPE पर किसी अनुमोदित रोजगार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तरमाध्यिमक शिक्षा की आवश्यकता हो उन्हें वार्षिक रूप से अनुदान एवं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जब उत्तरमाध्यिमक शिक्षा IPE पर शामिल हो तब DORS द्वारा सामुदायिक कॉलेज के स्तर पर प्रथम 60 क्रेडिटों में सहायता प्रदान की जा सकती है यदि उच्च शिक्षा के 4 वर्षीय संस्थान में उपस्थिति को समर्थन देने के लिए अपवाद की छूट न दी गई हो।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया DORS का वेबसाइट www.dors.state.md.us देखें अथवा 410-554-9109; (टॉल फ्री) 888-554-0334, अथवा dors@dors.state.md.us. पर DORS के ट्रांजिशन विशेषज्ञ से सम्पर्क करें;

अतिरिक्त जानकारी के लिए:
www.dors.state.md.us
फोन : 410-554-9109
टॉल फ्री: 1-888-554-0334
ई–मेल : dors@dors.state.md.us

3. DHMH *मेन्टल हायजीन एडमिनिस्ट्रेशन (मानसिक स्वास्थ्य प्रशासन)*

मेन्टल हायजीन एडमिनिस्ट्रेशन (मानसिक स्वास्थ्य प्रशासन – MHA) को पब्लिक मेन्टल हेल्थ सिस्टम्स (जन मानसिक स्वास्थ्य तंत्र - PMHS) का निरीक्षण प्राधिकार है जिसके अंतर्गत सेवा आपूर्ति, नीति निर्माण, राज्यव्यापी आयोजन, संसाधन वितरण तथा निरंतर गुणवत्ता उन्नयन दायित्व आते हैं। MHA द्वारा, मेडिकेड–योग्य व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जो अपने गंभीर मानसिक रोग और वित्तीय आवश्यकता के कारण राज्य द्वारा अनुदानित सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं, के लिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का वित्त पोषण किया जाता है। ज्यादातर क्षेत्रों के लिए ये सेवाएं फी–फॉर–सर्विसेज प्रणाली (FFS) के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उनका वित्त पोषण होता है। ऐसी सेवाएं तथा सहायता जिनकी FFS द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं होती जैसे कि व्यक्तिगत सहायता, पारिवारिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं अन्य विशेषीकृत सेवाएं और सहायता प्रदाताओं द्वारा स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार अथवा कोर सर्विस एजेंसी (CSA) द्वारा उपलब्ध की जा सकती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है।

सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं का एक समग्र सुगम क्रमविन्यास होगा। ये सेवाएं व्यक्ति को खुद को सशक्त बनाने में मदद करेंगी ताकि वे सामुदायिक जीवन में उच्च स्तरीय भागीदारी कर सकें।

मेन्टल हायजीन एडमिनिस्ट्रेश का उद्देश्य है मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राजकीय वित्त पोषित सेवाओं एवं सहायता की एक समन्वित समग्र, सुगम, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तथा आयु–उपयुक्त व्यवस्था का निर्माण और भागीदारों के साथ मिलकर समुत्थान शक्ति, स्वास्थ्य एवं रोगमुक्ति के लिए उपचार एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना।

कोर सर्विस एजेंसियां (CSAs) स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार हैं जो स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के योजना निर्माण, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। CSAs का अस्तित्व सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ एंड मेन्टल हायजीन (स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव) के प्राधिकार अंतर्गत होता है और साथ ही ये काउंटी सरकार के एजेंट भी होते हैं जो उनकी सांगठनिक संरचना को अनुमोदित करता है। CSAs राज्य की प्रत्येक काउंटी में कार्यरत है जिसमें एक मल्टी काउंटी CSA है जिसका मिड–शोर रीजन के पांच काउंटियों में विस्तार है तथा एक बाई–काउंटी CSA है जिसका विस्तार लोअर–शोर रीजन की दो काउंटियों में है। CSAs निजी, नॉन–प्रोफिट संस्थाएं, स्थानीय सरकार के घटक अथवा अर्ध–सरकारी एजेंसियों के रूप में हो सकती हैं।

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज़ ऑर्गेनाइज़ेशन – प्रशासनिक सेवा संगठन (ASO), MHA के साथ कॉन्ट्राक्ट के तहत सेवाओं को प्राधिकृत करता है एवं उपयोगिता प्रबंधन, प्रबंधन सूचना, दावेदारी पर प्रक्रिया तथा मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है।

मेरीलैंड पब्लिक मेन्टल हेल्थ सिस्टम (मैरीलैंड की जन मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली - PMHS):

योग्यता

सेवाओं के प्रकार के अनुसार योग्यता के मानदण्ड भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। पब्लिक मेन्टल हेल्थ सिस्टम से लाभान्वित होने के लिए आधारभूत योग्यता मानदण्ड इस प्रकार हैं :

- व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे रोग से ग्रस्त होना चाहिए जैसा कि DSM-IV-TR में परिभाषित किया गया है **तथा**
- व्यक्ति मेडिकेड का लाभार्थी है ; **अथवा**
- व्यक्ति मेडिकेड प्राप्त करने के लिए पूर्णतः योग्य होने के बावजूद भी फी–फॉर–सर्विस व्यवस्था के अंतर्गत है; **अथवा**
- व्यक्ति मेडिकेड प्राप्त करने का पात्र नहीं है और मनोचिकित्सीय एवं वित्तीय जरूरतों के कारण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का व्यय प्राप्त करने के (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) योग्य है जो राज्य एवं/अथवा स्थानीय निधियों से अनुदानित है।

मेडिकेड के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति सभी PMHS सेवाओं के लिए तभी उपयुक्त होते हैं जब उस स्तर की सेवा की आवश्यकता के मानदण्डं उनके द्वारा पूरे हों।

मेडिकेड के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति, (इन–पेशन्ट, इमर्जेंसी रूम सेवाओं तथा आंशिक हॉस्पिटलाइजेशन के अतिरिक्त) सारी सेवाओं के लिए पात्र है, यदि धन उपलब्ध हो, व्यक्ति को मानसिक डाइग्नोसिस और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकता हो, वह मैरीलैंड का निवासी हो और उसने उपलब्ध लाभों के लिए आवेदन किया हो, चिकित्सीय आवश्यकता की उस स्तर की सेवा के लिए पूरा करता हो और निम्नलिखित विशिष्ट योग्यता शर्तों को पूरा करता हो जैसे कि :

- उपभोक्ता वित्तीय रूप से जरूरतमंद हो और CSA ने सेवा की त्वरित आवश्यकता के कारण योग्यता की शर्तों का विस्तार किया हो ; **अथवा**
- उपभोक्ता ने पिछले दो वर्षों में PMHS सेवा प्राप्त की हो ; **अथवा**
- उपभोक्ता को वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य कारणों से SSDI मिल रहा हो; **अथवा**
- उपभोक्ता मैरीलैंड राज्य में गृहविहीन हो; **अथवा**
- पिछले 3 महीने के दौरान उपभोक्ता जेल से छूटा हो अथवा डिपार्टमेन्ट ऑफ करेक्शन (सुधार विभाग) द्वारा मुक्त किया गया हो; **अथवा**
- उपभोक्ता मैरीलैंड स्थित किसी मानसिक अस्पताल से पिछले 3 महीने के दौरान मुक्त हुआ हो; **अथवा**
- उपभोक्ता सशर्त विमुक्ति के आदेश द्वारा आवश्यक सेवाओं को प्राप्त कर रहा हो।

मेडिकेड के लिए अनुपयुक्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एक छोटी सी फी हो सकती है अथवा को –पे (सह–भुगतान) हो सकता है।

पब्लिक मेन्टल हेल्थ सिस्टम (PMHS) लाभ पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं आती है। सभी सेवाएं योग्यता के अनुसार तथा उस स्तर की सेवा के लिए स्थापित चिकित्सीय आवश्यकता के मानदण्डों के अनुरूप प्रदान की जाती हैं।

- **मनोचिकित्सीय इनपेशन्ट केयर :** यह एक अस्पताल आधरित गहन मनोचिकिस्तीय उपचार सेवा है जो गंभीर मनोचिकित्सीय लक्षणों अथवा रोगी द्वारा स्वयं को अथवा औरों को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार करने की स्थिति में उसे प्रदान की जाती है। इनपेशन्ट सेवाओं के अंतर्गत मनोचिकित्सीय एवं क्लिनिकल मूल्यांकन, औषधि देना और व्यवस्थापन, व्यक्तिगत और पारिवारिक काउन्सेलिंग, समूह थैरेपी, मेडिकल और नर्सिंग पर्यवेक्षण और मध्यस्थताएं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और आफ्टर केयर सेवा होती हैं। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **मनोचिकित्सीय आंशिक हॉस्पिटलाइजेशन :** आंशिक हॉस्पिटलाइजेशन एक आउट पेशन्ट, लघुकालिक, गहन, मनोचिकित्सीय उपचार सेवा है जो अस्पताल में उपलब्ध की जाने वाली गहन सेवा के समकक्ष है जिसके अंतर्गत मेडिकल और नर्सिंग पर्यवेक्षण और मध्यस्थता आती है। सेवा का यह स्तर मेडिकेड के पात्र बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **रेसिडेंशियल उपचार** : रेसिडेंशियल (निवास पर) उपचार के अंतर्गत नैदानिक एवं चिकित्सीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं/अथवा क्राइसिस सेवा की 24 घंटे उपलब्धि रहती है, की एक सम्पूर्ण श्रृंख़ला बच्चों अथवा किशोरों तथा रैप अराउंड एप्रोच का प्रयोग करने वाले परिवार को प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत इंटेंसिव केयर को–ऑर्डिनेशन शामिल है। युवा के रहने की व्यवस्था परिवार के साथ, फॉस्टर केयर होम में, उपचार फॉस्टर केयर होम में, ग्रुप होम में, चिकित्सीय ग्रुप होम में अथवा उनके खुद की आवासीय व्यवस्था में हो सकती है।
- **राहत :** राहत सेवाएं अल्प कालिक स्तर पर उपभोक्ता के घर पर अथवा अनुमोदित सामुदायिक व्यवस्था में प्रदान की जाती हैं तथा उसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता की देखभाल करने वालों को अल्पकालिक राहत प्रदान करते हुए उपभोक्ता को उसके घर पर ही रखना। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोारों और वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **आउट पेशन्ट मेन्टल हेल्थ सेन्टर (बाह्य रोगी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र) अथवा इन्डिविजुअल मेन्टल हेल्थ प्रेक्टिश्नर (व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी) :** आउट पेशन्ट मनोचिकित्सीय उपचार सेवाओं में मनोचिकित्सीय अथवा क्लिनिकल निर्धारण एवं मूल्यांकन, व्यक्तिगत चिकित्सा, समूह चिकित्सा, पारिवारिक चिकित्सा, पारिवारिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा अथवा औषधि प्रबंधन शामिल हैं। यह सेवा अनुमोदित आउट पेशन्ट मेन्टल हेल्थ सेन्टर्स (OMHCs) अथवा इन्डिविजुअल मेन्टल हेल्थ प्रोफेश्नल्स द्वारा प्रदान की जाती है, जो उपयुक्त प्रैक्टिस बोर्ड द्वारा अधिकृत और/अथवा लाइसेंस प्राप्त होते हैं। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **सायकियाट्रिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम (मनोचिकित्सीय पुनर्वास कार्यक्रम - PRP):** PRP सेवाएं गंभीर एवं दीर्घस्थायी रोगों से ग्रस्त उपभोक्ताओं को रोगमुक्ति प्रदान करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर जीवन बिताने लायक बनाने और उनमें सामाजिक कुशलता विकसित करने साथ ही खुद की देखभाल, रोग प्रबंधन जीवन एवं सामुदायिक भागीदारी के सम्बन्ध में निर्णय लेने में उन्हें सक्षम बनाने तथा उपभोक्ता को समुदाय से एकीकृत करने हेतु साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। सेवाएं ऑनसाइट सुविधा के रूप में दी जा सकती है अथवा ऐसी व्यवस्था के रूप में दी जा सकती है जो सामुदायिक जीवन में उपभोक्ता के भागीदारी को बढाने में प्रेरक हो। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **रेसिडेन्शियल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम (आवासीय पुनर्वास कार्यक्रम - RRP)**: RRP सेवाओं का निर्माण गंभीर एवं दीर्घस्थायी मानसिक रोग (सिवियर एंड पर्सिस्टन्ट मेन्टल इलनेस – SPMI) से ग्रस्त ऐसे उपभोक्ताओं के लिए हुआ है जिन्हें व्यापक पुनर्वास एवं संरचनाबद्ध जीवन के वातावरण में सहायता की आवश्यकता होती है। सेवा का यह स्तर संक्रमण–आयु के युवाओं (ट्रांज़िशन एज यूथ – TAY)और वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **एसर्टिव कम्युनिटि ट्रीटमेन्ट/ मोबाइल ट्रीटमेन्ट (निश्चयात्मक सामुदायिक उपचार/चलंत उपचार):** यह एक गहन, समुदाय आधारित सेवा है जो गंभीर एवं दीर्घस्थायी मानसिक रोग (SPMI) वाले व्यक्तियों को एसर्टिव आउटरीच, उपचार, पुनर्वास तथा सहायता प्रदान करता है जो गृहविहीन हो सकते हैं अथवा जिनके लिए आउट पेशन्ट उपचार का अधिक पारंपरिक रूप प्रभावकारी हो सकता है। सेवाएं उपभोक्ता के प्राकृतिक परिवेश में मोबाइल, मल्टी डिसीप्लीनरी टीम द्वारा प्रदान की जाती है। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **केस प्रबंधन :** केस प्रबंधन सेवाएं उपभोक्ता को उसके घर अथवा समुदाय में प्रदान की जाती हैं ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त करने में सक्षम हो सकें साथ ही उन्हें अतिरिक्त रूप से आवश्यक कोई चिकित्सीय, सामाजिक, वित्तीय सहायता और लाभ, परामर्श, शैक्षणिक घरेलू तथा अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के लिए बेनिफिट है।

- **सहयता प्राप्त जीवन :** सहायता प्राप्त जीवन सेवाएं गंभीर एवं दीर्घस्थायी मानसिक रोग (SPMI) से ग्रस्त उपभोक्ता को ऑफ–साइट पुनर्वास तथा सहायता उपलब्ध कराता है जो अपने पसंद के अलग घर में परिवर्तनक्षम, व्यक्तिपरक सहायता के साथ जीते हैं। सेवा का यह स्तर ट्रांज़िशन–आयु के युवाओं और वयस्कों के लिए लाभप्रद है

- **सहायता प्राप्त रोजगार :** सहायता प्राप्त रोजगार (SE) सेवाएं गंभीर मानसिक रोग (SMI) अथवा भावनात्मक अव्यवस्था से ग्रस्त ऐसे उपभोक्ताओं के लिए रोजगार विकास और नियोजन, रोजगार के लिए कोचिंग तथा निरंतर रोजगार सहायता उपलब्ध कराता है जिनके लिए प्रतियोगी रोजगार उपलब्ध नहीं है, उस में बाधा आयी है, या कभी कभार ही उपलब्ध हुआ है। ये व्यक्तिनिष्ठ सेवाएं योग्यताप्राप्त उपभोक्ताओं को समुदाय एकीकृत कार्य वातावरण में उनके रुचि, पसंद तथा हुनर के अनुसार उन्हें स्वतंत्र प्रतियोगी रोजगार का चयन करने, प्राप्त करने, कायम रखने अथवा आगे बढने योग्य बनातीं हैं। सेवा का यह स्तर ट्रांज़िशन–आयु के युवाओं और वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **रेसिडेन्शियल क्राइसिस (आवासीय संकट) -** आवासीय संकट सेवा अल्प कालिक, गहन मानसिक स्वास्थ्य तथा सहायता सेवाएं हैं जो समुदाय आधारित, गैर–अस्पताली, आवासीय व्यवस्था में प्रदान की जाती है जिसका निर्माण मनोचिकित्सीय इनपेशन्ट भर्ती को रोकने हेतु, मनोचिकित्सीय इनपेशन्ट भर्ती के विकल्प के रूप में अथवा रोगी के इनपेशन्ट निवास की अवधि को कम करने के लिए किया गया है। सेवा का यह स्तर बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधित प्रयोगशाला सेवा (मेन्टल हेल्थ रिलेटेड लेबोरेटरी सर्विसेज) –**इसमें शामिल हैं चिकित्सीय रूप से आवश्यक परीक्षण तथा प्रक्रियाएं जो वैध मेडिकेड प्रदाता संख्या वाली अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं जिसका संबंध मेडिकेट प्राप्त करने के उपयुक्त उपभोक्ताओं को PMHS में मनोचिकित्सकों द्वारा दिए जा रहे मनोचिकित्सीय उपचार से होता है। सेवा का यह स्तर मेडिकेड योग्य बच्चे किशोरों तथा वयस्कों के लिए बेनिफिट है।

सेवाओं तक पहुंच

PMHS के अन्दर सभी सेवाएं सेवा के लिए योग्यता एवं तदनुरूपी चिकित्सीय आवश्यकता मानदण्डों के आधार पर प्रदान की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवाओं के लिए सहायता हेतु एक टॉल फ्री नम्बर 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध है।

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑर्गेनाइज़ेशन (ASO) को इस नम्बर पर फोन करें **:**
1-800-888-1965

अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अन्य सभी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिसके अंतर्गत सहायता प्राप्त रोजगार सेवाएं, अथवा मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच शामिल है, पर जो उस तक सीमित नहीं है, कृपया अपनी स्थानीय कोर सर्विस एजेंसी को फोन करें।

Allegany County Core Service Agency
Allegany Co. Mental Health System's Office
P.O. Box 1745
Cumberland, Maryland 21501-1745
फोन: 301-759-5070
फैक्स: 301-777-5621
ई–मेल: mhso@hereintown.net

Anne Arundel County Core Service Agency
Anne Arundel County Mental Health Agency
Box 6675, MS 3230
1 Truman Parkway, Suite 101
Annapolis, Maryland 21401
फोन: 410-222-7858
फैक्स: 410-222-7881
ई–मेल: mhaaac@aol.com

Baltimore City Core Service Agency
Baltimore Mental Health Systems, Inc.
201 East Baltimore Street, Suite 1340
Baltimore, Maryland 21202
फोन: 410-837-2647
फैक्स: 410-837-2672
Baltimore County Core Service Agency
Bureau of Mental Health of Baltimore County Health Department
6401 York Road, Third Floor
Baltimore, Maryland 21212
फोन: 410-887-3828
फैक्स: 410-887-4859

Calvert County Core Service Agency
P.O. Box 980
Prince Frederick, Maryland 20678
फोन: 410-535-5400
फैक्स: 410-535-5285

Carroll County Core Service Agency
290 South Center Street, P.O. Box 460
Westminster, Maryland 21158-0460
फोन: 410-876-4440
फैक्स: 410-876-4929

Cecil County Core Service Agency
401 Bow Street
Elkton, Maryland 21921
फोन: 410-996-5112
फैक्स: 410-996-5134

Charles County Core Service Agency
Charles County Human Services Partnership
P.O. Box 2150,
6 Garrett Avenue
LaPlata, Maryland 20646
फोन: 301-396-5239
फैक्स: 301-396-5248

Frederick County Core Service Agency
Mental Health Mgmt Agcy of Frederick County
22 South Market Street, Suite 8
Frederick, Maryland 21701
फोन: 301-682-6017
फैक्स: 301-682-6019

Garrett County Core Service Agency
1025 Memorial Drive
Oakland, Maryland 21550-1943
फोन: 301-334-7440
फैक्स: 301-334-7441
ई–मेल: gccsa@dhmh.state.md.us

Harford County Core Service Agency
Office on Mental Health
206 South Hays Street, Suite 201
Bel Air, Maryland 21014
फोन: 410-803-8726
फैक्स: 410-803-8732

Howard County Core Service Agency
Howard County Mental Health Authority
9151 Rumsey Road, Suite 150
Columbia, Maryland 21045
फोन: 410-313-7350
फैक्स: 410-313-7374
ई–मेल: hcmha@hcmha.org

Mid-Shore Core Service Agency
(Includes Caroline, Dorchester, Kent,
Queen Anne and Talbot Counties)
Mid-Shore Mental Health Systems, Inc.
8221 Teal Drive, Suite 203
Easton, Maryland 21601
फोन: 410-770-4801
फैक्स: 410-770-4809

Montgomery County Core Service Agency
Department of Health & Human Services, Montgomery County Government
401 Hungerford Drive, 5th Floor
Rockville, Maryland 20850
फोन: 240-777-1400
फैक्स: 301-279-1692

Prince George's County Core Service Agency
Prince George's Co. Dept. of Family Services
Mental Health Authority Division
5012 Rhode Island Avenue, Room 114
Hyattsville, Maryland 20781
फोन: 301-985-3890
फैक्स: 301-985-3889

St. Mary's County Core Service Agency

St. Mary's County Dept. of Human Services
23115 Leonard Hall Drive, PO Box 653
Leonardtown, Maryland 20650
फोन: 301-475-4200, Ext. 1680
फैक्स: 301-475-4000

Wicomico Somerset County Regional Core Service Agency
108 East Main Street
Salisbury, Maryland 21801
फोन: 410-543-6981
फैक्स: 410-219-2876

Washington County Core Service Agency
Washington County Mental Health Authority
339 E. Antietam Street, Suite #5
Hagerstown, Maryland 21740
फोन: 301-739-2490
फैक्स: 301-739-2250

Worcester County Core Service Agency
P.O. Box 249
Snow Hill, Maryland 21863
फोन: 410-632-1100
फैक्स: 410-632-0065
ई–मेल: worcsa@dmv.com

4. *डिविज़न ऑफ वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट एंड एडल्ट लर्निंग (कार्यबल विकास तथा व्यस्क शिक्षा विभाग)*

वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट एंड एडल्ट लर्निंग डिविज़न ऐसे कार्यक्रम तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो युवाओं, युवा व्यस्कों, 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को उनके शैक्षिक तथा रोजगार लक्ष्यों को हांसिल करने में मदद करे। युवा तथा युवा वयस्क ऐसे क्रियाकलाप में शामिल रहते हैं, जो शैक्षिक उपलब्धि, रोजगार कुशलता, जीवन कुशलता पर केंद्रित होते हैं। ऑफिस ऑफ वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट समुदाय में कई कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, जो सभी युवाओं तथा अक्षमता वाले युवाओं को रोजगार तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट सेन्टर युवाओं को नौकरी लेने, करियर चुनने या बदलने या नई कुशलता हांसिल करने के लिए उपलब्ध है। करियर परामर्श, प्रशिक्षण, कम्प्यूटर को पहुंच तथा अन्य सहायता सेवाएं स्थानीय वर्कफोर्स इनवेस्टमेन्ट बोर्ड तथा उनके वन स्टॉप सेंटरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। सेवाओं के लिए रजिस्टर करने हेतु यवक को स्थानीय वर्कफोर्स डेवेलपमेन्ट सेन्टर पर जाना होगा।

उत्तर–माध्यिमक शिक्षा अक्षमता सहायता सेवाएं

हाईस्कूल से उत्तर माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है।
क्या यह हाई स्कूल जैसी ही होगी? मैं कहां से आरंभ करूं? मुझे मदद के लिए कहां जाना चाहिए? क्या सहायताएं माध्यमिक स्कूल जैसी ही होंगी? क्या मेरे माता–पिता सहायता आयोजन सेवाओं में शामिल होंगे? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रायः अक्षमता वाले युवा वयस्कों द्वारा पूछे जाते हैं, जब वे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। निम्नलिखित

जानकारी इन में से कुछ सवालों के जवाब देगी। यु.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रकाशित एक योजना निर्देशिका भी उपलब्ध है। इसे इंटरनेट पर इस वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है– www.ed.gov.

हाई स्कूल तथा कॉलेजों के बीच के अंतर

- **क्या मैं इन्डिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) पाना जारी रखूंगा/रखूंगी?**
  नहीं। इन्डिविजुअल्स विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट 2004 (IDEA) प्रावधान करता है कि अक्षमता वाले छात्र को IEP प्राप्त हो। लेकिन IDEA कॉलेजों, ट्रेड स्कूलों या विश्वविद्यालयों के लिए लागू नहीं होता। ये स्कूल अन्य संघीय कानूनों के एक सेट द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनमें अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट (ADA) तथा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एक्अ की धारा 504 भी शामिल है। कॉलेजों, ट्रेड स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारियां हाई स्कूल से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती हैं। सबसे अहम अंतर है कि उत्तर माध्यमिक स्कूल केवल युवा वयस्कों के साथ कार्य करते हैं, उनमें माता–पिता की सहभागिता नहीं होती। युवा वयस्कों की जिम्मेदारी एक कॉलेज छात्र के रूप में बढ़ जाती है। ये कानून यह प्रावधान करता है कि यह युवा वयस्कों की जिम्मेदारी है कि वे सेवाओं की मांग करे तथा उपयुक्त अक्षमता संबंधी दस्तावेज प्रदान करें। युवा वयस्कों को इस प्रक्रिया में सक्रीय रूप से भाग लेना चाहिए।

- **क्या मुझे हाई स्कूल के समान समायोजन प्राप्त होगा?**
  यह आवश्यक नहीं। IEP उत्तरमाध्यिमक स्कूलों में आगे नहीं ले जाया जाता। उत्तरमाध्यिमक स्कूल दस्तावेजों की समीक्षा और सूचनाओं के संग्रह के बाद यह निर्धारण करेगा कि छात्र को कैसे समायोजन दिए जाएं।

कॉलेजों में सेवाओं की प्राप्ति

- **सेवाओं के लिए मुझे कहां जाना चाहिए?**
  प्रत्येक उत्तरमाध्यिमक स्कूल में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विकलांग छात्रों की मदद करते हैं। ये व्यक्ति डिसेबिलिटि सपोर्ट सर्विसेज ऑफिस (अक्षमता सहायता सेवा कार्यालय – DSS) में होते हैं। शैक्षिक समायोजन प्राप्त करने हेतु तथा/या अन्य सेवाओं के लिए युवा वयस्क को सर्वप्रथम **स्वयं की DSS** में **पहचान** करवानी चाहिए। यह युवा वयस्क की **जिम्मेदारी** है कि वह उत्तरमाध्यिमक स्कूल से आवश्यक सहायता के लिए बात करे।
- **मुझे सेवाओं के लिए कब निवेदन करना चाहिए?**

  वैसे, युवा वयस्क किसी भी समय उत्तरमाध्यिमक स्कूल से समायोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर यह अनुशंसा की जाती है कि युवा वयस्क DSS से जाकर जल्द से जल्द मिलें तथा तथा यह सेमेस्टर के आरंभ होने के **एक महीने** पूर्व के बाद न हो। सेवाओं की व्यवस्था तथा समायोजन में समय लगता है। कुछ शैक्षिक व्यवस्था में अन्य की तुलना में अधिक समय लगता है। समायोजन कभी भी पूर्व अवधि में नहीं होता। युवा वयस्कों को कभी भी शैक्षिक कठिनाइयों के आरंभ होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

- **मुझे कौन से कागजात प्रस्तुत करने होंगे**?
  डॉक्युमेंटेशन के लिए स्कूल उचित मानदंड तय करते हैं। कुछ स्कूलों को अन्य से अधिक कागजात की जरूरत होती है, पर सभी स्कूल को युवा वयस्क के उपयुक्त योग्य व्यावसायिक द्वारा तैयार किए कागजात की जरूरत होती है। आवश्यक कागजात प्राप्त करने में **किसी व्यय राशि** के लिए युवा वयस्क ही **जिम्मेदार** होगा। कागजात के आवश्यक तत्त्वों में शामिल हैं:

  - एक डायग्नोस्टिक विधान जो कि अक्षमता की पहचान करता तो।
  - डायग्नोस्टिक कार्य के लिए प्रयुक्त विधियों का विवरण
  - वर्तमान कार्यात्मक सीमाओं का विवरण क्योंकि ये शैक्षिक तथा आवसीय व्यवस्था दोनों से जुड़ा होता है।
  - अक्षमता की अपेक्षित प्रगति या स्थायित्व का विवरण।
  - वर्तमान तथा पूर्व समायोजनों, सेवाओं तथा/ या उपचारों का विवरण।
  - समायोजनों, अनुकूलित उपकरणों, सहायक सेवाओं, क्षतिपूरक रणनीति तथा/या कोलैटरल सपोर्ट सेवाओं के लिए अनुशंसाएं।

भले ही IEP प्रभावशाली सेवाओं को पहचानने में मदद करता है पर प्रायः यह उत्तरमाध्यिमक स्कूल के लिए पर्याप्त दस्तावेज **नहीं होता।**

उत्तरमाध्यिमक स्कूल में समायोजन प्राप्त करना

- **कौन से समायोजन प्रदान किए जाते हैं?**

  समायोजनों शैक्षिक आवश्यकताओं को ऐसेरूपांतर हैं जो कि अक्षमता वाले योग्यता प्राप्त युवा वयस्कों को समान पहुँच प्राप्त होने के लिए आवश्यक हैं। उचित समायोजनों में निम्न शामिल हो सकते हैंः

- परीक्षाओं में अधिक समय
- वैकल्पिक प्रारूप में पुस्तकें
- साइन लैंगवेज इंटरप्रिटर
- स्क्रीन रीडर
- ध्वनि पहचान (वॉइस रेकग्निशन)
- अन्य सहायक तकनीकी

DSS कार्यालय युवा वयस्क के साथ मिलकर उचित समायोजन की व्यवस्था के लिए कार्य करेगा। यदि कोई समायोजन पाठ्यकार्य के साथ मौलिक बदलाव करता हो तो उसे **प्रदान नहीं किया जा सकता।** आवश्यक पाठ्यकार्य के अधित्याग की अनुमति नहीं दी जाती। स्नातक होने के लिए अक्षम छात्रों को अध्ययन कार्यक्रम की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा **करना होगा।**

अतिरिक्त जानकारी के लिएः

नौकरी की तलाश वाले अक्षम व्यक्तियों से जुड़ी रोजगार सूचनाएंः
www.dllr.state.md.us/employment/disabilities.shtml

स्थानी य वन स्टॉप सेन्टरों की सूचीः
www.dllr.state.md.us/county/

ट्रांजिशन आयोजन में माता–पिता की भूमिका

ट्रांजिशन के बारे में चर्चा की तैयारी करने के लिए परिवार क्या कर सकता है?

परिवार निम्नलिखित कार्य कर अपने बच्चों के ट्रा़ंजिशन और उन्हें जिन सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है उनके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हो सकते हैः

- अपने बच्चे से उसकी रुचियों तथा वर्तमान क्रियाकलापों एवं उत्तरस्कूल गतिविधियों की प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत करें। सभी ट्रांजिशन योजनाएं छात्रों की रुचियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं।
- स्कूल के साथ कार्य कर उनके बच्चों के स्व–समर्थन क्षमताओं का विकास करना।
- इस निर्देशिका में दिए एजेंसियों से परिचित होना।
- आने बच्चे के भविष्य के सपनों को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना।
- अपने बच्चे को उसे स्कूल खतम होने के बाद क्या करना है उसके बारे में अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता कर IEP ट्रांजिशन टीम मीटिंग के लिए तैयारी करने में मदद करना।
- ट्रांजिशन संबंधी जानकारियों के लिए एक घरेलू फाइल बना कर रखना। घरेलू फाइल में निम्न जानकारियों शामिल हो सकती हैं, हालांकि ये उन तक ही सीमित नहीं हो सकतीः
    - ☐ बच्चे के हाल ही में उपयोग में लिए जाते IEP;
    - ☐ वयस्क सेवा एजेंसियों की संपर्क सूचनाएं;
    - ☐ बच्चे का एग्ज़िट डॉक्युमेन्ट (ग्रेजुएशन के समय उपलब्ध)
    - ☐ बच्चे की सप्लिमेन्टल सिक्योरिटि इन्कम (SSI) तथा मेडिकेड जानकारियां (यदि लागू हो)
    - ☐ बच्चे के सभी निर्धारण तथा मूल्यांकन की प्रतियां
    - ☐ एजेंसी के आवेदन की समयसीमा; तथा
    - ☐ एजेंसियों के साथ पत्रव्यवहार।

ट्रांजिशन योजना में छात्र की भूमिका

ट्रांजिशन योजना अक्षमता वाले छात्रों को उत्तरमाध्यिमक लक्ष्यों को तय करने तथा शिक्षा आधारित कार्यक्रमों के विकास में मदद करती है, जो उन्हेंउन लक्ष्यों को उन्मुख करता है। ट्रांजिशन योजना छात्र के लिए होती है तथा योजना प्रक्रिया में उसके/उसकी इनपुट के बिना यह सफल नहीं होती। प्रक्रिया हेतु तैयारी के लिए छात्र को निम्न करना चाहिए:

- माता–पिता के साथ अपनी रुचियों की चर्चा करनी चाहिए। (वर्तमान में उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, यह आवश्यक नहीं कि वे इसे स्कूल समाप्त करने के बाद भी करने की इच्छा रखें।)
- रोजगार के क्षेत्रों का अन्वेषण
- IEP टीम मीटिंग में अपनी बात स्वयं कहने के लिए खुद को तैयार करना (माता–पिता या शिक्षक के साथ अभ्यास); तथा
- IEP टीम मीटिंग में प्रश्न पूछना (जब आप कहते हैं कि मुझे लर्निंग डिसेबिलिटि है, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या मुझे अपने नियोक्ता से यह बताना होगा कि मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है?)

ट्रांजिशन प्रक्रियाः एजेंसी लिंकेज

आपके पुत्र या पुत्री को वयस्क सेवा की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वे अपने उत्तरमाध्यिमक रोजगार लक्ष्यों, उत्तरमाध्यिमक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा आत्मनिर्भर जीवन (जब उचित हो) प्राप्त कर सकें। परिणामस्वरूप आपको स्कूल छोड़ने से पहले सही संपर्क बनाना होगा ताकि सेवाओं में कोई फाँसला न हो। आपकी अनुमति से एक स्कूल प्रतिनिधि आपको आपके बच्चे के सही सेवा प्रदाता से जोड़ने में मदद करेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। एक वयस्क के तौर पर आपका बच्चा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे आवश्यक सेवाएं प्राप्त हो।

ट्रांजिशन आयोजन निर्देशिका संभावित वयस्क सेवाओं पर जानकारियां प्रदान करती है। निर्देशिका में एजेंसी की योग्यता मानदंड तथा विशिष्ट लिंकेज प्रक्रिया की जानकारियां शामिल होती हैं। यह जानकारी आपको तथा आपके बच्चे को वयस्क सेवा से लिंकेज की ट्राजिंशन प्रक्रिया में मदद करेगी।

ट्रांजिशन आयोजन निर्देशिका की समीक्षा सही एजेंसी की लिंकेज प्रक्रिया का पहला चरण है। निर्देशिका ऐसी जानकारियां प्रदान करती हैं, जो सहायता के लिए सही एजेंसी के चुनाव के लिए आवश्यक होती है। आपके बच्चे का स्कूल स्टॉफ आपको आवेदन प्रक्रिया हेतु स्थानीय जानकारियां तथा अन्य सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है।

ट्रांजिशन आयोजन निर्देशिका की प्राप्ति वयस्क सेवा एजेंसियों के साथ आरंभिक लिंकेज के रूप में कार्य करती है। इस निर्देशिका का वितरण ट्रांजिशन योजना प्रक्रिया का हिस्सा होता है तथा इस फॉर्म पर आपका हस्ताक्षर निर्देशिका की आपकी प्राप्ति का सत्यापन करता है।

छात्र का नामः____

छात्र के हस्ताक्षरः____

माता–पिता/अभिभावक का हस्ताक्षरः____

तिथिः ____

स्थानीय स्कूल प्रणालीः ____

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/Early Intervention Services
200 West Baltimore Street, 9th Floor
Baltimore, Maryland 21201
www.MarylandPublicSchools.org